संख्या-204/2018/2447/22-2-2017-17(633)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 2018**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 वसीम पुत्र श्री मो0 अमीन, निवासी जनपद-सुल्तानपुर (वर्तमान जिला-अमेठी) की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-33899/प्रोबेशन-3/(एम 14.09.2017) दिनांक 18.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 वसीम पुत्र श्री मो0 अमीन, जो निमिहा मजरे-महोना पूरब, थाना-बाजार शुक्ल, जनपद-सुल्तानपुर (वर्तमान जिला-अमेठी) का निवासी है। बन्दी ने दीवार के विवाद में दिनांक 19-05-2002 को प्रात: 7.00 बजे लगभग लाइसेंसी बन्दूक से फायर कर फारूक अहमद नामक व्यक्ति की हत्या करने एवं बाजबुलनिशाँ नामक महिला को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-361/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302,307 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-कोर्ट नं0-01, सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 01.09.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.08.2017 तक 15 वर्ष 03 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 03 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने यह अंकित किया है कि बन्दी ने दीवार के विवाद में दिनांक 19-05-2002 को लाइसेंसी बन्दूक से फायर कर फारूक अहमद नामक व्यक्ति की हत्या एवं बाजबुलनिशाँ नामक महिला को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिट्रेट, द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता,जघन्यता जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मो0 वसीम पुत्र श्री मो0 अमीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मो0 वसीम (बन्दी संख्या-3811/2005) पुत्र श्री मो0 अमीन, निवासी जनपद-सुल्तानपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-204/2018/2447(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-अमेठी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-204/2018/2447@22-2-2017-17(633)/2017

दिनांक 27 फरवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 वसीम पुत्र श्री मो0 अमीन, जो निमिहा मजरे-महोना पूरब, थाना-बाजार शुक्ल, जनपद-सुल्तानपुर (वर्तमान जिला-अमेठी) का निवासी है। बन्दी ने दीवार के विवाद में दिनांक 19-05-2002 को प्रात: 7.00 बजे लगभग लाइसेंसी बन्दूक से फायर कर फारूक अहमद नामक व्यक्ति की हत्या करने एवं बाजबुलनिशाँ नामक महिला को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-361/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302,307 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-कोर्ट नं0-01, सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 01.09.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.08.2017 तक 15 वर्ष 03 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 03 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने यह अंकित किया है कि बन्दी ने दीवार के विवाद में दिनांक 19-05-2002 को लाइसेंसी बन्दूक से फायर कर फारूक अहमद नामक व्यक्ति की हत्या एवं बाजबुलनिशाँ नामक महिला को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिट्रेट, द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मो0 वसीम पुत्र श्री मो0 अमीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in